संख्या-26/2015/3051/77-4-15-43.एन./15

प्रेषक,

देवी प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त आयुक्त, उद्योग,
लखनऊ मण्डल लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 16 सितम्बर, 2015

विषयः- मा0 आयोग के वेतन एवं अन्य खर्चो के मद में व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति एवं मा0 आयोग के चालू वित्तीय वर्ष के शेष व्यय की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 आयोग के वेतन एवं अन्य खर्चो के मद में व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति एवं मा0 आयोग के चालू वित्तीय वर्ष के शेष व्यय की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2015-2016 के अनुदान संख्या-7 के आयोजनेत्तर मद में अनुपूरक के माध्यम से आय-व्ययक में व्यवस्थित कुल रू0 97,14,000.00 (सत्तानवे लाख चैदह हजार मात्र) को निम्नलिखित विवरणानुसार एवं शर्तानुसार व्यय किये जाने जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

अनुदान संख्या-7 आयोजनेत्तर
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं
105-विशेष जांच आयोग
03-एकल सदस्यी न्यायिक जांच आयोग धनराशि रू0 हजार में

01-वेतन एवं	2500
03-महगाई भत्ता	3000
04-यात्रा व्यय (साक्षियों सहित)	800
06-अन्य भत्ते	700
08-कार्यालय व्यय	1206
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	50
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	200
15-गाड़ियों का अनुरक्षरण और पेट्रोल आदि की खरीद	1158
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	100
योग	9714

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

2. धनराशि सक्षम स्तर के अनुमोदन से नियमानुसार व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2015/बी-2-2580/दस-2015-244/2015 दिनांक 26 अगस्त, 2015 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि का आहरण यथावश्यक प्रबंध निदेशक, पिकप की मांग पर किया जायेगा। आहरित धनराशि धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ के माध्यम से शासन महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही रू0 97.14 लाख (रूपये सत्तानवे लाख चैदह हजार मात्र) का व्यय चालू वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या-7 (आयोजनेत्तर) के लेखाशीर्षक-"2070-अन्य सेवाएं, 105-विशेष जांच आयोग, 03-एकल सदस्यी न्यायिक जांच आयोग" के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-13/2015/बी-2-2580/दस-2015-244/2015 दिनांक 26 अगस्त, 2015 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(देवी प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. प्रबंध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, लखनऊ, गोमतीनगर।
4. सचिव, एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग, पिकप भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6. संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
7. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवी प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/go